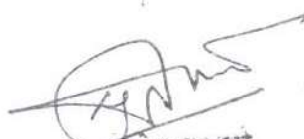


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 06वीं प्रवेश समिति की बैठक, दिनांक 28.10.2025 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 06वीं प्रवेश समिति की बैठक, दिनांक 28.10.2025 को दोपहर 02:30 बजे आहूत की गयी, जिसमें निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी
कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 3. प्रो० पी०डी० पंत
निदेशक, भौमिकी व पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 4. प्रो० रेनू प्रकाश
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा | सदस्य |
| 5. प्रो० जितेन्द्र पाण्डेय
निदेशक, कम्प्यूटर साईंस व सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा | सदस्य |
| 6. प्रो० गगन सिंह
निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा | सदस्य |
| 7. प्रो० प्रवेश कुमार सहगल
निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 8. प्रो० आशुतोष कुमार भट्ट
निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन, विद्याशाखा | सदस्य |
| 9. प्रो० एम०ए० जोशी
निदेशक पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन विद्याशाखा | सदस्य |


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

1
-102-


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- | | |
|---|------------|
| 10. प्रो० मंजरी अग्रवाल
निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 11. प्रो० डिगर सिंह फर्स्वान
निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा | सदस्य |
| 12. प्रो० अरविन्द भट्ट
निदेशक पुस्तकालाय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा | सदस्य |
| 13. प्रो० राकेश चन्द्र रयाल
निदेशक पत्रकारिता एवं मिडिया अध्ययन विद्याशाखा | सदस्य |
| 14. प्रो० कमल देवलाल
निदेशक विधि विद्याशाखा | सदस्य |
| 15. श्री खेमराज भट्ट
कुलसचिव | सदस्य |
| 16. प्रो० सोमेश कुमार
परीक्षा नियंत्रक | सदस्य |
| 17. श्री सूर्य प्रताप सिंह
मुख्य वित्त अधिकारी | सदस्य |
| 18. डॉ० सुमित प्रसाद
प्रवेश प्रभारी | सदस्य सचिव |

आमंत्रित सदस्य—

1. डॉ० विनोद कुमार, सहायक प्रवेश प्रभारी
2. डॉ० विशाल कुमार शर्मा, सहायक प्रवेश प्रभारी
3. डॉ० दीप प्रकाश, सहायक प्रवेश प्रभारी
4. श्री दीपक कुमार, सहायक कुलसचिव (प्रवेश)
5. श्री जितेन्द्र द्विवेदी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर
6. श्रीमती रंजना जोशी, कोर्डिनेटर


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम सदस्य सचिव/प्रवेश प्रभारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अभिवादन किया गया। तदुपरांत विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गई। प्रवेश समिति की उक्त बैठक में निर्धारित कार्यसूची के अनुरूप प्रस्ताव/मदों पर कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें अधोलिखित निर्णय लिए गए।

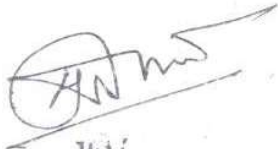
मद संख्या 06:01—प्रवेश समिति की पांचवी बैठक, दिनांक 18.02.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

समिति को अवगत कराया गया कि प्रवेश समिति की पांचवी बैठक, दिनांक 18.02.2025 में आहूत की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था, जिस पर किसी भी सदस्य से कोई भी सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ।

अतः उक्त आलोक में समिति द्वारा कार्यवृत्त का अवलोकन करने के उपरांत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन दिया गया।

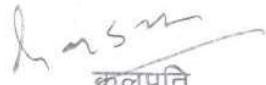
मद संख्या 06:02— प्रवेश समिति की पांचवी बैठक, दिनांक 18.02.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

समिति के सम्मुख सदस्य सचिव द्वारा प्रवेश समिति की पांचवी बैठक, दिनांक 18.02.2025 में निर्णित कुल 11 प्रस्तावों/मदों के क्रम में अद्यतन की गयी कार्यवाही से विस्तृत रूप में अवगत कराया गया, जिसके आलोक में समिति के सभी सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त करते हुए कृत कार्यवाही के प्रति सराहना की गई। इसके अतिरिक्त मद संख्या 05:04 में इंगित कृत कार्यवाही का संज्ञान ग्रहण करते हुए समिति ने सत्र जुलाई 2024 के अभ्यर्थी जिनके द्वारा अभी तक अपनी सही ए0बी0सी0-आई0डी0 एवं डैब-आई0डी0 विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है उन शिक्षार्थियों को छात्र हित में एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए इनका प्रवेश सत्र जनवरी 2026 में स्थानांतरित करने की संस्तुति प्रदान की गयी जिसके उपरांत यदि सत्र जनवरी 2026 के प्रवेश के अंतिम तिथि तक इन 635 शिक्षार्थियों द्वारा अपनी सही ए0बी0सी0-आई0डी0 एवं डैब-आई0डी0 उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में इनका प्रवेश पूर्ण रूप निरस्त कर दिया जायेगा।


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

3

-104-


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

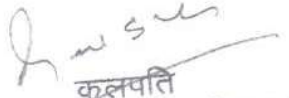
मद संख्या 06.03— प्रवेश की अंतिम तिथि तक ही पाठ्यक्रम/विषयक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

समिति के सम्मुख अवगत कराया कि अद्यतन यह व्यवस्था विद्यमान है कि प्रत्येक प्रवेश सत्र में यू0जी0सी0-डैब द्वारा निर्धारित अंतिम प्रवेश तिथि से 30 दिवसों तक, पंजीकृत शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम/विषय परिवर्तन के लिए अवसर दिया जाता है।

वर्तमान में यू0जी0सी0-डैब द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नव प्रवेशित शिक्षार्थी को अपने पंजीकृत पाठ्यक्रम/विषय में परिवर्तन अथवा संशोधन का अवसर, उस सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि तक ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि शिक्षार्थी को पुस्तकें ही मुद्रित प्रति एम0पी0डी0 अनुभाग द्वारा प्रदान की जा चुकी होने की स्थिति में वह अपना कार्यक्रम/पाठ्यक्रम परिवर्तन नहीं कर पाएगा।

निर्णय— उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक रूप से विचार-विमर्श करने के उपरांत समिति ने यह पाया है कि चूंकि पाठ्यक्रम संबंधी पूर्ण डेटा यू0जी0सी0 डैब को प्रवेश की अंतिम तिथि तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, अतः कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन की व्यवस्था भी शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक ही उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह संज्ञान में आया कि मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम का विश्वविद्यालय होने के कारण उ0 मु0 वि0 प्रवेश के उपरांत शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर देता है जिसके कारण यदि शिक्षार्थी पाठ्यक्रम / कार्यक्रम परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे अपनी पूर्व उपलब्ध करायी अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होती है, जिस कारण विलंब होने से कई बार प्रवेश की अंतिम तिथि भी पूर्ण हो जाती है। अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि शिक्षार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति वह अपना पाठ्यक्रम / कार्यक्रम परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। आवेदन केवल विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे।


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(मद संख्या 06.04 पुनः पंजीकरण के प्राविधान को समाप्त करने पर विचार।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की 12 वीं बैठक, दिनांक 28.09.2017 के पारित मद संख्या 12.10 के उपबंधानुरूप अद्यतन यह सुविधा विद्यमान है कि कोई भी पंजीकृत छात्र-छात्रा अपने अनुत्तीर्ण कार्यक्रम को कार्यक्रम की तिथि से अधिकतम अवधि पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित अतिरिक्त शुल्क जमा कर पुनः पंजीकरण करते हुए अपने पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को उत्तीर्ण कर पूर्ण कर सकता है।

समिति के ध्यान में लाना है कि यू0जी0सी0-डैब विनियम-2020 के अनुरूप किसी भी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर पूर्ण करने की अधिकतम अवधि, उस पाठ्यक्रम हेतु निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के दो गुना सीमा तक होगी। उक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की दशा में किसी भी प्रकार से पुनः पंजीकरण कर तदसम्बन्धी कार्यक्रम को उत्तीर्ण कर पूर्ण करने का प्राविधान उपबंधित नहीं है। लिहाजा तकनीकी व वैधानिकता के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय द्वारा प्राविधानित पुनः पंजीकरण(मुख्य एवं बैक) परीक्षा की सुविधा को समाप्त करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

अतः समिति के सम्मुख प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—उपरोक्त वर्णित मद का संज्ञान ग्रहण करते हुए समिति द्वारा यह तर्क दिया गया कि देश में मुक्त विश्वविद्यालय के संचालन हेतु सर्वोच्च संस्थान द्वारा बनाए गए विनियम “ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम 2020”, सर्वोपरी है, अतः शिक्षार्थियों को दी जाने वाली अधिकतम समय अवधि तथा पुनः पंजीकरण पर निर्णय लिये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो कि निम्नवत है:

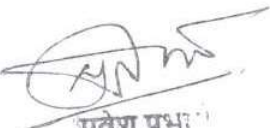
- प्रो0 पी0डी0 पन्त, निदेशक अकादमिक अध्यक्ष
- प्रो0 मदन मोहन जोशी
- प्रो0 डिगर सिंह फर्सवान
- प्रो0 कमल देवलाल
- प्रो0 सोमेश कुमार परीक्षा नियंत्रक
- डॉ सुमित प्रसाद प्रवेश प्रभारी

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक -03/11/2025 को प्रातः 11 बजे निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विनियम 2020 के अनुरूप शिक्षार्थियों को अधिकतम समय अवधि का लाभ दिया जाए तथा विश्वविद्यालय स्तर से समस्त शिक्षार्थियों को पुनः पंजीकरण (मुख्य एवं बैक) संबन्धी मिलने वाली व्यवस्था को अकादमिक सत्र जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए।

मद संख्या 06.05— विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट देने की प्रक्रिया

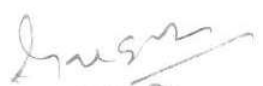
के सम्बन्ध में निर्णय।

समिति के संज्ञान लाना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक प्रदेशान्तर्गत व प्रदेश से बाहर के 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

5

-106-


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

शुल्क में छूट (महिलाओं को 100 प्रतिशत व पुरुषों को 50 प्रतिशत) दिये जाने की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-1995 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत सकारात्मक पहल के तहत विभिन्न सुविधाओं/आरक्षण के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

तदक्रम में समिति के सम्मुख प्रस्ताव है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित शुल्क छूट के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत 50 के स्थान पर 40 प्रतिशत स्वीकृत जाना उपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तावित है चूँकि उत्तराखण्ड शासन प्रदेश के स्थाई दिव्यांग व्यक्तियों को ही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं/आरक्षण का लाभ अनुमन्य करता है, अतः इस सम्बन्ध में शुल्क छूट की सीमा को निर्धारित किया जा सकता है।

निर्णय- तद् आलोक में समिति के समक्ष आपसी विचार-विमर्श करने के उपरांत यह सहमति व निर्णय हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांगता के कारण शुल्क में छूट के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको भारत सरकार द्वारा मुद्रित **Compendium of Schemes for the Welfare of Persons with Disabilities-2019** द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता पर शुल्क में छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण पर विस्तार पूर्वक विमर्श कर निर्णय लिए जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जो कि निम्नवत है :

- प्रो० पी०डी० पन्त, निदेशक अकादमिक अध्यक्ष
- प्रो० मदन मोहन जोशी
- प्रो० डिगर सिंह फर्सवान
- प्रो० कमल देवलाल
- प्रो० सोमेश कुमार परीक्षा नियंत्रक
- डॉ० सुमित प्रसाद प्रवेश प्रभारी

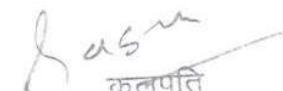
उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक -03/11/2025 को प्रातः 11 बजे निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा मुद्रित **Compendium of Schemes for the Welfare of Persons with Disabilities-2019** द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुरूप शिक्षार्थियों को छूट या छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु न्यूनतम दिव्यांगता की प्रतिशत 40 प्रतिशत है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आवेदन कर रहे समस्त शिक्षार्थी, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत व उससे अधिक है, को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण छूट उपलब्ध कराई जाए। इस प्रक्रिया में वि०वि० के शेष नियम यथावत रहेंगे।

मद संख्या 06.06- पार्श्व प्रवेश (लेटरल एन्ट्री) की सुविधा अनुमन्य करने के अधिकतम अवधि का निर्धारण।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित पाठ्यक्रमों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पंजीकृत शिक्षार्थियों को स्नातक कार्यक्रमों के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एन्ट्री) का प्राविधान लागू कर प्रभावी किया गया है।


प्रवेश प्रभारी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला मैनीताल (उत्तराखण्ड)

कतिपय समय देखा गया है कि कतिपय अभ्यर्थी अपने पूर्व संस्थान के पंजीकृत पाठ्यक्रम को मध्यावधि में छोड़ने/अन्य कारणों से लम्बे समय अवधि के बाद विश्वविद्यालय में पार्श्व प्रवेश के लिए अनुरोध करते हैं, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0-डैब से निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि से समायोजन नहीं हो पाता है।

अतः प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री), विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों को केवल उस पाठ्यक्रम को छोड़ने की तिथि से अधिकतम 02 वर्षों की अवधि तक ही दिया जाना उपयुक्त होगा, ताकि कार्यक्रम अवधि का समायोजन परस्पर किया जा सके। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के जितने वर्षों की अवधि अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से पूर्ण करेगा उसी के अनुरूप उसे ओ0डी0एल0 विनियम-2020 के अनुसार अधिकतम अवधि का लाभ दिया जाएगा।

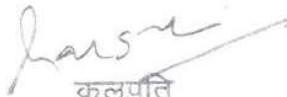
निर्णय- उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए आवेदन कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि पूर्व में कोई डिप्लोमा / सर्टिफिकेट / पी0जी0 डिप्लोमा पूर्ण किया गया है तो इन अभ्यर्थियों को समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी परंतु ऐसे समस्त आवेदन को विभागीय स्तर से विशेषज्ञ समिति द्वारा विश्लेषण किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम वार स्लैब्स का मिलान 70 प्रतिशत व उससे अधिक होने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी द्वारा पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के लिए आवेदन किया जा रहा है परंतु ऐसा अभ्यर्थी विधिवत डिप्लोमा / सर्टिफिकेट / पी0जी0 डिप्लोमा धारित नहीं करता है अथवा NEP के **Multiple Entry Multiple Exit** संरचना का छात्र नहीं है तो ऐसे शिक्षार्थियों को अपना पुराना कार्यक्रम छोड़कर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में विधिवत रूप से प्रवेश करने हेतु अधिकतम 02 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त दोनों स्थितियों में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) तथा पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के अन्य नियम ODL विनियम 2020 के अनुरूप रहेंगे।

मद संख्या 06.07-शैक्षणिक वर्ष 2021, 2022 व 2023 के दौरान स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि पर पुनर्विचार।

बैठक में उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के दौरान संचालित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को उत्तीर्ण कर पूर्ण करने के अधिकतम अवधि 06 वर्ष रखी गयी थी, जिसके आधार पर उक्त विवरण भी तत्समय गठित प्रवेश विवरणिकाओं में प्रकाशित किया गया था। संज्ञान में लाना है कि यू0जी0सी0 विनियम-2020 के अनुरूप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर पूर्ण करने की अधिकतम अवधि कार्यक्रम अवधि से दो गुना निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार


प्रवेश प्र...

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
दिल्ली


कुलपति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वर्तमान सत्र में यू0जी0सी0 की प्राविधानित व्यवस्था विश्वविद्यालय में लागू कर दी गई है। वर्तमान में कतिपय छात्र अपने वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के दौरान लिए गये प्रवेश में निश्चित की गयी 06 वर्ष की अवधि के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अनुरोध कर रहे हैं, तथा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 27.09.2025 को कुलपति जी की अध्यक्षता में हुई निदेशक मण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन सत्रों में प्रभावित हुए शिक्षार्थियों की अधिकतम अवधि लाभ तदसमय की प्रवेश विवरणिका में इंगित समय के अनुरूप दिया जाएगा इस संदर्भ में एक अभ्यर्थी द्वारा पुनः पजीकरण कर शुल्क रुपये 16550 का भुगतान वापसी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

तदक्रम में प्रस्ताव समिति के सम्मुख आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय— प्रश्नगत प्रकरण बैठक के समस्त सदस्यों के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया तथा नामांकन संख्या— 21250399 के आवेदन क्रम में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी के पूर्ण शुल्क की वापसी विश्वविद्यालय स्तर से की जाए, तथा भविष्य में भी यदि ऐसे आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उन पर भी समान कार्यवाही की जाए।

मद संख्या 06.08— प्रवेशित विद्यार्थियों को अपने नाम, जन्मतिथि, फोटो, माता व पिता का नाम आदि सूचनाओं में पोर्टल के माध्यम से संशोधन के लिए अधिकतम अवधि/सीमा का निर्धारण।

समिति के सम्मुख सूच्य है कि प्रत्येक प्रवेश सत्र में प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद अधिकांश प्रवेशित विद्यार्थी विभिन्न कारणों से अपने नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, माता व पिता का नाम आदि सूचनाओं में सत्र के मध्यावधि या कतिपय समय परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी संशोधन के लिए बार-बार अनुरोध करते हैं। प्रवेश अनुभाग गतिमान सत्र के मध्यावधि में युक्तिसंगत कारण व साक्ष्य होने पर कतिपय समय आवश्यकतानुसार संशोधन तो कर लेता है, किन्तु परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेशित छात्र-छात्राओं की पूर्व प्रविष्ट सूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन करना तकनीकी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं होती है, लिहाजा सम्बन्धित छात्र के आवेदन पर असमंजसता की स्थिति बनी रहती है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभिमत है कि प्रत्येक प्रवेश सत्र में प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद प्रवेशित विद्यार्थियों को अपने नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, माता व पिता का नाम आदि सूचनाओं में संशोधन के लिए अधिकतम


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

-109-


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला - नाताल (उत्तराखण्ड)

अवधि/सीमा का निर्धारण किया जाना उचित होगा। इस हेतु प्रत्येक सत्र में प्रवेश की तिथि से अधिकतम 30 दिवसों तक सम्बन्धित छात्रों को अपने ऑनलाईन प्रवेश फार्म में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अवसर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल/ई-मेल/पता परिवर्तन हेतु छात्रों को निरंतरता से अनुमति रहेगी।

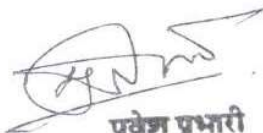
प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— उक्त के आलोक में समिति/बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा आपसी विचार-विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि चूँकि नाम जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, माता पिता का नाम का प्रयोग विश्वविद्यालय अभिलेखों में शिक्षार्थी की गोपनीयता एवं निष्ठता बनाये रखने के लिए प्रयोग किया जाता है अतः अभ्यर्थी प्रवेश की अंतिम तिथि से 30 दिन के भीतर यह सुनिश्चित कर ले कि अभ्यर्थियों की उक्त सूचनाएँ सही हैं और यदि वह इनमें कोई सुधार कराना चाहता है तो वह इस अवधि के दौरान कर सकता है, जिसके उपरांत यह व्यवस्था उसे पुनः उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि भिन्नता DEB- ID के कारण होती है तो छात्रहित में अभिलेखों में DEB- ID ठीक होने के उपरांत भी संशोधन किया जा सकेगा।

मद संख्या 06.09— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों व उनके आश्रितों एवं उत्तराखण्ड प्रदेश के अनाथों के लिए प्रवेश शुल्क में रियायत देने पर विचार।

बैठक में सभी सदस्यों की जानकारी में लाया गया कि उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 655, दिनांक 02.07.2025, जिसमें शासन द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को क्या किसी प्रकार से प्रवेश या परीक्षा शुल्क में कोई दिए जाने का प्राविधान किया गया है या नहीं?। उल्लिखित पत्र समिति के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। ध्यातव्य है कि विश्वविद्यालय में अद्यतन उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को शुल्क छूट दिए विषयक कोई भी नियम नहीं है।

अतः प्रस्ताव उक्त सूचना के साथ विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सकारात्मक पहल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों की श्रेणी भी गठित की गयी


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

है, अतः शुल्क छूट के प्रस्ताव पर उक्त श्रेणी को भी विचार में लाने के लिए उपरोक्तानुसार सूचना दी गयी है।

निर्णय- प्रस्ताव पर समिति द्वारा राज्य सरकार उत्तराखण्ड द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली शुल्क में छूट के अनुरूप कार्यवाही करने पर निर्णय भविष्य में हुआ।

मद संख्या 06.10- विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विषयों में निर्धारित शुल्क संरचना पर पुनर्विचार।

बैठक में उल्लेखनीय है कि विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत विभिन्न विषय, स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में संचालित हैं। प्रवेश सत्र एवं कतिपय समय उसके बाद भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क, अन्य संस्थागत विश्वविद्यालयों से अधिक होने के सम्बन्ध में सूचित किया जाता तथा शुल्क को कम करने का अनुरोध किया जाता है।

अतः उक्त सूचना, प्रवेश समिति के माध्यम से विज्ञान विद्याशाखा एवं अकादमिक परिषद में पुनर्विचार हेतु प्रस्तावित की गई है।

निर्णय- तदक्रम में समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसे यह निर्देश दिया गया कि अन्य मुक्त विश्वविद्यालय जैसे IGNOU, UPRTOU, व राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन कर उपरोक्त प्रकरण पर निर्णय लें। समिति निम्नवत् है:

- प्रो० पी०डी० पन्त, निदेशक अकादमिक, अध्यक्ष
- प्रो० पी०के० सहगल
- प्रो० कमल देवलाल
- प्रो० मंजरी अग्रवाल
- श्री अभिषेक बाजपेयी, सहायक कुलसचिव, वित्त
- डॉ सुमित प्रसाद प्रवेश प्रभारी

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक -03/11/2025 को दोपहर 2:30 बजे निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के शुल्क को अन्य मुक्त विश्वविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय से तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत

यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान कार्यक्रम संरचना के अनुरूप विज्ञान विद्याशाखा का वर्तमान शुल्क ढांचा उपयुक्त है तथा शुल्क पर पुनः विचार करने हेतु विज्ञान संकाय कार्यक्रम संरचना के पुर्नगठन पर आगामी अध्ययन बोर्ड की बैठक में निर्णय लेगा जिसके अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों के शुल्क को भी तुलनात्मक रूप से देखा गया जिसके उपरांत यह निर्णय प्राप्त हुआ कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का शुल्क अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों के शुल्क के सापेक्ष उपयुक्त है तथा वर्तमान सत्र में किसी भी कार्यक्रम के शुल्क में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

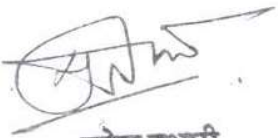
मद संख्या 06.11- यू0जी0सी0 द्वारा प्रतिपादित शुल्क प्रतिपूर्ति/वापसी के विनियमों/प्राविधानों का अंगीकरण।

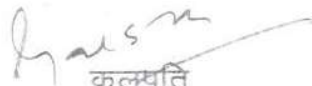
समिति विदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा तकनीकी कारणों से प्रवेश हेतु किये गये दोहरे भुगतान में से एक भुगतान, प्रवेश के प्रारंभ में ही प्रवेश पंजीकरण वापिस लेना व अन्य युक्तिसंगत मांगानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रश्नगत प्रवेश सत्र के दौरान ही शुल्क की प्रतिपूर्ति/वापसी की जाती है। उक्त व्यवस्था, पूर्व में आहूत प्रवेश समिति एवं कार्यपरिषद में पारित निर्णयानुसार विद्यमान है।

अवगत कराना है कि यू0जी0सी0 द्वारा अपने वर्ष 2018 के जारी कार्यालय ज्ञापन में शुल्क प्रतिपूर्ति/वापसी के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया है। कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है। उक्त कार्यालय ज्ञापन को पूर्व में तत्कालीन कुलपति जी के संज्ञान में लाया गया है, जिन्होंने प्रश्नगत कार्यालय ज्ञापन को प्रवेश समिति व कार्यपरिषद के पारित निर्णयानुसार ही लागू करने के निर्देश दिए हैं।

तदक्रम में प्रवेश समिति का मत है चूंकि उपरिलिखित कार्यालय ज्ञापन एकीकृत रूप में सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों पर समान रूप से लागू करने का मार्गदर्शन किया है। अतः उपयुक्त होगा कि विश्वविद्यालय के पूर्व प्राविधानित शुल्क वापसी के नियमों को वर्ष 2018 के उक्त जारी कार्यालय ज्ञापन की सीमा तक अंगीकार कर संशोधित कर लिये जाय एवं शेष उपबंध, जो इसके इतर हों, उन्हें यथावत बनाए रखा जा सकता है।

निर्णय- प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत समिति दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त करते हुए यह संस्तुति दी कि यू0जी0सी द्वारा शुल्क वापसी संबंधी नियम (D.O.No.F.2-71/2022(CPP-114546) दिनांक - 12/06/2024) को अंगिकृत किया जाए, जिसको कि सत्र जनवरी 2026 की प्रक्रिया से लागू किया जायेगा।


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

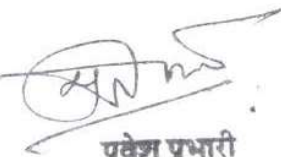
मद संख्या 06.12— प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेशों के लिए यू0जी0सी0-डैब द्वारा निर्धारित अंतिम प्रवेश तिथि के 07 दिवस पूर्व तक अर्ह/योग्य अभ्यर्थियों की सूचना प्रवेश अनुभाग को उपलब्ध कराना।

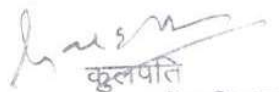
समिति विदित है कि विश्वविद्यालय में कतिपय ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जिनमें प्रवेश की प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की जाती है, जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा/ वरीयता सूची में उत्तीर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश फार्म भरते हैं। प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को प्रवेश की अंतिम तिथि तक कराया जा रहा है जिससे कि कई अभ्यर्थी समय से फार्म नहीं भर पाने के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। अतः प्रस्तावित है कि ऐसे समस्त कार्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा/ वरीयता सूची संपन्न होने के उपरांत प्रवेश दिया जाता है ऐसे समस्त विभाग संबंधित कार्यक्रमों के अभिलेख सत्यापन का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व संपन्न कर प्रवेश अनुभाग को सूचना प्रदान करेंगे जिससे कि समस्त सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फार्म भरने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जा सके।

निर्णय— प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत समिति द्वारा दिए गए अभिमत पर सहमति व्यक्त करते हुए यह संस्तुति दी कि जिन कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रदान किया जाता है वह सभी विभाग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अभिलेख सत्यापन का कार्य पूर्ण कर प्रवेश अनुभाग को सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रदान करेंगे। विशेष परिस्थितियों में निदेशक मण्डल की अनुशांसा पर कुलपति जी के स्तर से इन 07 दिवसों में छूट प्रदान की जा सकेगी।

मद संख्या 06.13— एक अभ्यर्थी को निर्गत दो नामांकन संख्याओं के मर्षण (मर्जिंग) पर निर्णय।

समिति सदस्यों को अवगत कराया कि डैब आई0डी0 की अनिवार्यता से पूर्व कतिपय समय एक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के दो पाठ्यक्रमों में दो अलग-अलग नामांकन ऑनलाइन प्रवेश फार्म के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। प्रवेशोपरांत सम्बन्धित अभ्यर्थी


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

भिन्न-भिन्न कारणों को बताकर अपने दो नामांकन संख्याओं को मर्षण (मर्जिंग) करने के लिए प्रथम प्रदत्त हुए नामांकन संख्या को मान्य करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

तदक्रम में प्रस्ताव समिति सम्मुख इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है चूँकि दो नामांकन जनरेट होने पर उन दोनों को एक ही नामांकन संख्या में मर्षण (मर्जिंग) करने हेतु विश्वविद्यालय को उक्त कार्यवाही से पहले गहन परीक्षण करना होता है, प्रस्तावित है कि ऐसी स्थिति में दूसरे पंजीकरण एवं उससे संबंधित पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे कि भविष्य में शिक्षार्थी इसका अनुपयुक्त लाभ न ले सके।

निर्णय— उपरोक्त प्रकरण पर समिति को अवगत कराया गया कि ऑनलाइन प्रवेश फार्म में नवीन एवं पुराने छात्रों के लिए प्रवेश लिये जाने हेतु दो अलग अलग प्रावधान है जिसके बावजूद भी पुराने छात्र नवीन छात्र के रूप में पंजीकरण कर नया नामांकन संख्या बना ले रहे हैं। अतः उक्त का संज्ञान ग्रहण करते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सत्र जनवरी 2026 से पंजीकृत होने पर यदि कोई पुराना छात्र नया नामांकन संख्या बना लेता है और उसके विलय के लिए आवेदन करता है ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदनकर्त्ता का नया पंजीकरण संख्या एवं उससे संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा नया नामांकन बना कर प्रवेश लेने की स्थिति में प्रवेश निरस्त होने पर शुल्क वापसी नहीं की जायेगी।

मद संख्या 06:14— विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि को यू0जी0सी0-डैब द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से 03 कार्य-दिवसों पूर्व निर्धारित करना।

प्रवेश प्रभारी द्वारा समिति के सम्मुख बताया जा रहा है कि यू0जी0सी0-डैब द्वारा प्रत्येक प्रवेश सत्र में समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए समय-समय पर प्रवेश की अंतिम तिथि यू0जी0सी0-डैब की वेबसाईट पर प्रसारित की जाती है। डैब द्वारा प्राविधानित नवीन नियमों के अनुरूप प्रवेश की अंतिम तिथि ही यू0जी0सी0-डैब को विश्वविद्यालय के छात्रों का डेटा उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि होती है, जिसका पोर्टल अंतिम प्रवेश तिथि की रात 12 बजे बन्द हो जाता है। कतिपय समय, कतिपय कारणों से अंतिम तिथि में प्रवेश ले रहे अभ्यर्थियों का शुल्क भुगतान में तकनीकी खामियों के कारण प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो पाता है, ऐसे में सम्बन्धित अभ्यर्थी का डाटा यू0जी0सी0 डैब में ऑनलाईन उपलब्ध न होने के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

अतः प्रक्रिया की सरलता के लिए तथा अभ्यर्थियों के प्रवेश की पूर्ण सुनिश्चितता के लिए प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि, यू0जी0सी डैब द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से 03 कार्यदिवसों पूर्व निर्धारित की जाए, जिससे कि ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की परेशानियों का समाधान कर उनका प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय के पास 03 कार्यदिवसों का समय शेष रहे।

निर्णय— समिती द्वारा प्रस्ताव पर सहमति देते हुए ऑनलाइन प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि को यू0 जी0 सी0 डैब द्वारा निर्धारित की जाने वाली अंतिम तिथि से दो कार्यदिवस पूर्व किये जाने हेतु संस्तुति दी गई है।

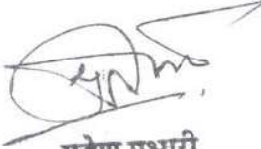
मद संख्या 06:15— प्रवेश प्रक्रिया के ऑनलाइन फार्म में परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।

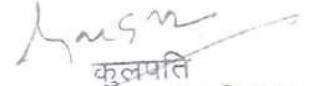
समिति सदस्यों को अवगत कराया कि अकादमिक सत्र जुलाई 2025 में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी ऑनलाइन फार्म में निम्नवत् परिवर्तन उच्चस्तरीय अनुमोदनार्थ किये गए हैं:

1. पाठ्यक्रम परिवर्तन संबंधी ऑनलाइन फार्म ।
2. विभिन्न श्रेणियों को विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में मिलने वाली छूट को ऑनलाइन फार्म में ही उपलब्ध कराये जाना, जिसके प्रश्चात यदि अभ्यर्थी फार्म सत्यापन के दौरान संबंधित श्रेणी के लिए अर्ह नहीं पाया जाता है तो उसका प्रवेश पूर्ण रूप से निरस्त करना।
3. अनिवार्य रूप से ई0एस0एल0एम0 प्रदान कर पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट देना।
4. ई0एस0एल0एम0 शिक्षार्थी के वनव्यू (one view) में उपलब्ध कराना ।
5. शिक्षार्थियों के मूल अभिलेखों में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन फार्म का निर्माण करना जिसके माध्यम से परिवर्तन शुल्क (रू-100) का भुगतान भी किया जाता है। यह फार्म शिक्षार्थी के वनव्यू (one view) में उपलब्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आगामी सत्र जनवरी 2026 में प्रवेश फार्म में संशोधन कर अभ्यर्थियों को प्रवेश फार्म में Save एवं Next का प्रावधान उपलब्ध कराये जाने हेतु आई0सी0टी0 अनुभाग द्वारा फार्म का निर्माण किया जा रहा है।

निर्णय— बैठक में समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रवेश प्रक्रियाओं की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए किए जा रहे सकारात्मक पहल पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रवेश अनुभाग की प्रशंसा की गई।


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 06:16-नामांकन संख्या-14052234 (श्री पुष्कर सिंह रौतेला) द्वारा सन्यास दीक्षा प्राप्त होने के उपरांत नाम परिवर्तन कर 'स्वामी पुण्य देव' करने हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार।

बैठक में अवगत कराया गया कि नामांकन संख्या-14052234 (श्री पुष्कर सिंह रौतेला) द्वारा एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अपनी सन्यास दीक्षा लेने के उपरांत श्री पुष्कर सिंह रौतेला द्वारा अपना परिवर्तित नाम 'स्वामी पुण्य देव' उनके विश्वविद्यालय अभिलेखों में अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

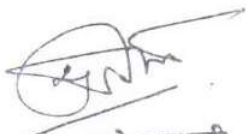
निर्णय- उपरोक्त प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दीक्षोपरांत शिक्षार्थी द्वारा नाम परिवर्तन कर दिया गया है अतः शिक्षार्थी द्वारा नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध कराने के उपरांत विश्वविद्यालय अभिलेखों में नाम परिवर्तित कर दिया जाए।

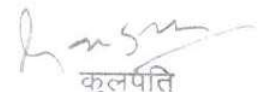
मद संख्या 06:17- मनोविज्ञान कार्यक्रम बंद होने के कारण उस कार्यक्रम में पंजीकृत छात्रों के लिए पाठ्यक्रम/विषय परिवर्तन या शुल्क वापसी प्रक्रिया पर निर्णय।

सदस्य सचिव का कहना है कि यू0जी0सी-डैब व अन्य नियामकीय संस्थाओं विश्वविद्यालय में पूर्व संचालित मनोविज्ञान कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय हुआ है। अब उक्त पाठ्यक्रम में पूर्व पंजीकृत छात्रों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश/परिवर्तन हेतु आवेदन किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित प्रभावित छात्रों से परिवर्तनीय पाठ्यक्रम में अधिशेष शुल्क, यदि परिवर्तनीय नव पाठ्यक्रम का शुल्क, पूर्व पंजीकृत मनोविज्ञान कार्यक्रम से अधिक हो तो, एवं कार्यक्रम शिप्टिंग शुल्क (रुपये 500.00 मात्र) लिया जा रहा है।

प्रवेश अनुभाग का मत है चूंकि प्रभावित छात्र अपनी संभवत अपनी इच्छानुसार नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान कार्यक्रम की मान्यता समाप्त होने के कारण नये पाठ्यक्रम में शिफ्ट हो रहे हैं। अतः सम्बन्धित छात्रों से शिप्टिंग शुल्क (रुपये 500.00 मात्र) लिया जाना तार्किक प्रतीत नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त कतिपय छात्र अपने पंजीकृत कार्यक्रम मनोविज्ञान में भुगतान की गये पूर्ण शुल्क वापसी का आवेदन कर रहे हैं। अतः शुल्क वापसी हेतु किये गये आवेदन संबंधी पूर्ण दस्तावेज तथा विषय/पाठ्यक्रम परिवर्तन संबंधी पूर्ण जानकारी सम्बन्धित


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
रूढ़ी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
रूढ़ी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

समन्वयकों के द्वारा प्रवेश अनुभाग को उपलब्ध करायी जानी उचित होगी, ताकि प्रश्नगत प्रकरणों का निस्तारण स्पष्टता से किया जा सके।

निर्णय—

उपरोक्त प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम / कार्यक्रम परिवर्तन शुल्क नहीं लिया जाए तथा उनके आवेदन पर संपूर्ण शुल्क की वापसी भी की जाए।

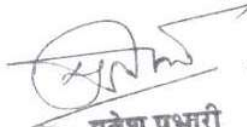
मद संख्या 06:18— एस0आई0एस ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रों द्वारा अपलोडेड दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की अधिकतम अवधि एवं प्रक्रिया पर निर्णय।

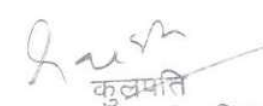
समिति सदस्यों को अवगत कराया कि प्रवेश प्रक्रिया के समय एस0आई0एस0 पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य के तौर पर अपने वांछित दस्तावेज स्कैन करते हुए पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जिनको आई0सी0टी0 के तकनीकी कार्मिक विश्वविद्यालय के सर्वर पर सुरक्षित रखता है। चूंकि यू0जी0सी0 नियमानुरूप किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को उत्तीर्ण कर पूर्ण करने की अधिकतम अवधि, उस कार्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि के दो गुणा समय तक होती है। उदाहरण स्वरूप स्नातक कार्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 03 वर्ष के दो गुणा अर्थात् 06 वर्षों तक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 02 वर्ष के दो गुणा अर्थात् 04 वर्षों तक उत्तीर्ण कर पूर्ण कर सकता है। उल्लेखनीय है कि पंजीकृत सभी शिक्षार्थियों के अपलोडेड दस्तावेजों का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय सर्वर बना रहता है। आई0सी0टी0 अनुभाग का कहना है चूंकि सर्वर पर एक निश्चित मात्रा तक ही डाटा को स्टोर किया जा सकता है, अतः समय-समय पर पुराने डाटा को सर्वर के सुरक्षित रखरखाव के लिए हटाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः तदनुरूप सूचना के समिति के सम्मुख प्रस्ताव है कि प्रवेश सम्बन्धी अपलोडेड दस्तावेजों के डाटाबेस को सर्वर पर स्टोर कर सुरक्षित रखने एवं उसे आवश्यकतानुसार हटाने अर्थात् निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए समयावधि का निर्धारण व उसकी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना उचित होगा। ताकि वांछित डाटा को सर्वर पर सुरक्षित रखा जा सके।

निर्णय— उपरोक्त प्रकरण पर प्रवेश समिति द्वारा विस्तृत रूप से विश्लेषण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया जो कि निम्नवत है:

- प्रो0 पी0डी0 पन्त, निदेशक अकादमिक, अध्यक्ष
- प्रो0 मदन मोहन जोशी
- प्रो0 डिगर सिंह फर्सवान
- प्रो0 कमल देवलाल
- प्रो0 सोमेश कुमार परीक्षा नियंत्रक
- डॉ सुमित प्रसाद प्रवेश प्रभारी


प्रवेश प्रभारी
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक -03/11/2025 को प्रातः 11 बजे निदेशक अकादमिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश फार्म एवं संबंधित अभिलेखों (हार्डकापी रूप में) को कार्यक्रम की अधिकतम अवधि से दो वर्षों तक रखा जाए जिसके उपरांत विनिष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। प्रवेश संबंधी ऑनलाइन अभिलेखों के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश पूर्ण होने के उपरांत प्रत्येक अकादमिक वर्ष (दो वर्ष बाद) के ऑनलाइन अभिलेखों को एक अतिरिक्त हार्डडिस्क में सुरक्षित रखा जाए तथा उनका विनिष्टीकरण न किया जाए।

मद संख्या 06:19 -- प्रवेश सत्र जुलाई, 2025 में B.ED Special/ MED Special/ BA Yoga/ MA Yoga/ MTM/

MBA/MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वंचित रहे प्रवेश के इच्छुक छात्रों को पर्याप्त समय न मिलने के कारण सत्र जनवरी 2026 में प्रवेश दिये जाने संबंधी प्रस्ताव।

बैठक में सूच्य है कि प्रवेश सत्र जुलाई 2025 के अन्तर्गत B.ED Special/ MED Special/ BA Yoga/ MA Yoga/ MTM/ MBA/MCA पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा होने के उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से चयनित व इच्छुक छात्रों को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल निर्धारित तिथि को बंद होने के कारण प्रवेश फार्म भरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया था, फलस्वरूप कतिपय अभ्यर्थी प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं।

समिति के सम्मुख प्रस्ताव है कि ऐसे चयनित व इच्छुक अभ्यर्थियों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रवेश सत्र जनवरी, 2026 की प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है, निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- उपरोक्त प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है उनमें आंबटित कुल सीटों के सापेक्ष यदि किसी अकादमिक सत्र जुलाई में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो प्रवेश के बाद शेष बची कुल सीटों पर इच्छुक अभ्यर्थियों (जिन्होंने सत्र जुलाई की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है) को वरीयता के अनुरूप केवल आगामी सत्र जनवरी में प्रवेश दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उस पाठ्यक्रम में एक पूर्ण अकादमिक वर्ष में (जुलाई से जून) आंबटित कुल सीटों से ज्यादा प्रवेश नहीं दिया गया है।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त कार्यक्रमों में यदि जुलाई सत्र के सफल अभ्यर्थियों से यदि जनवरी सत्र में कार्यक्रम की पूर्ण सीटें नहीं भर पाती हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया सत्र जनवरी में शेष बची सीटों के लिए प्रारंभ कर दी जाएगी जिसके उपरांत सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तथा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फार्म में कुल सीटों का ब्योरा, पूर्ण आरक्षण संबंधी सीटों सहित, उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि आवेदनकर्ताओं को पूर्व से ही संपूर्ण सीटों एवं संबंधित आरक्षणों की भी जानकारी उपलब्ध हो। जिन कार्यक्रमों में

कुल आवेदन, आवंटित सीटों के 50 प्रतिशत से कम हो वे प्रवेश परीक्षा का इंतजार करने के स्थान पर अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर वरीयता सूची के अनुरूप (अथवा विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था) व आरक्षण का पालन करते हुए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं।

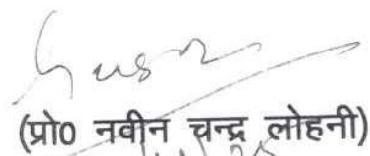
उपरोक्त पूर्ण व्यवस्था केवल इसी शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि यदि यू0जी0सी0 डैब पोर्टल में उपरोक्त संबंधित कार्यक्रमों का डेटा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था जनवरी सत्र में भी अनुमन्य की जाएगी।

मद संख्या 06:20—अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।



(डॉ सुमित प्रसाद)

सदस्यसचिव/प्रवेश प्रभारी



(प्रो० नवीन चन्द्र लोहनी)

अध्यक्ष/कुलपति

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
रुह्यानी जिला मैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 33.21- विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 को सम्पन्न षष्ठम बैठक की संस्तुतियों में मद संख्या 06.10 में विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए शेष कार्यवृत्त पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

मद संख्या 06.10- विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत विज्ञान विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की कार्यशाला (Workshop) हेतु निर्धारित शुल्क में प्रति विषय 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। यह व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र जनवरी, 2026 से विज्ञान वर्ग के समस्त शिक्षार्थियों पर लागू होगी।

प्रस्ताव संख्या 33.22- सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की तृतीय बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए सीका (Centre for Internal Quality Assurance) की तृतीय बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 33.23- विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत सम्पन्न अध्ययन बोर्डों (Board of Studies) की संस्तुतियों का अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की बैठकें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न हुई हैं। तदक्रम में अध्ययन बोर्डों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर की गई संस्तुतियां विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

क्रम सं०	विद्या शाखा का नाम	विषय	कार्यक्रम का नाम/अध्ययन बोर्ड की संस्तुति	संलग्नक
1.	पर्यटन आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन	पर्यटन/ होटल प्रबंधन	The proposal to change the name of the School from School of Tourism, Hospitality and Hotel Management (STHHM) to School of Tourism and Hospitality Management (STHM) was discussed and approved unanimously.	अध्ययन बोर्ड की दिनांक 22.10.2025 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां कार्यवृत्त सहित।